

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

क्रमांक: F-37/Dir(P)/LOP/2012/1007

दिनांक :- 14/9/12

ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 05.09.2012 का कार्यवाही विवरण

आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में गठित ले-आऊट प्लान समिति की बैठक दिनांक 05.09.2012 को प्रातः 11.00 बजे उनके कार्यालय कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें निम्नलिखित सदस्यो/अधिकारियो ने भाग लिया :-

- | | |
|---|------------|
| 1. श्रीमती सीमा कविया, उपायुक्त (पूर्व), जोधपुर विकास प्राधिकरण | सदस्य |
| 2. श्री महेन्द्र सिंह, उपायुक्त (पश्चिम), जोधपुर विकास प्राधिकरण | सदस्य |
| 3. डॉ. शशि शर्मा, उपायुक्त (उत्तर), जोधपुर विकास प्राधिकरण | सदस्य |
| 4. श्री भागीरथ बिश्नोई, उपायुक्त (दक्षिण), जोधपुर विकास प्राधिकरण | सदस्य |
| 5. श्री पी.आर. बेनीवाल, उप नगर नियोजक, जो. वि. प्रा. | सदस्य |
| 6. श्री गिरधारीलाल, तहसीलदार (पूर्व), जो.वि.प्रा. | सदस्य |
| 7. श्री एस.एल. सेठी, निदेशक (आयोजना), जो. वि. प्रा. | सदस्य सचिव |

सर्व प्रथम गत बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि करते हुए प्रकरणों के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही पर विचार-विमर्श किया गया। तत्पश्चात् समिति के समक्ष निम्नलिखित ले-आऊट प्लान प्रस्तुत किये गये एवं समिति द्वारा उन पर विचार-विमर्श कर उनके आगे अंकितानुसार निर्णय लिए गये :-

1. राजस्व ग्राम बनाड के खसरा नम्बर 449/1 की रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक :- श्रीमती तुलसीदेवी, श्रीमती लूणी देवी वगैराह
प्रकरण संख्या 85/10

राजस्व ग्राम बनाड के खसरा नम्बर 449/1 की रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित है। उक्त भूमि जोधपुर-जयपुर सड़क के दक्षिण दिशा में स्थित गुटका फैक्ट्री के दक्षिण में स्थित है। प्रस्तुत ले-आऊट प्लान पर सम्बन्धित जोन के अमीन द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। आवेदित भूमि के ले-आऊट प्लान का सहायक नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण किया गया है। उक्त प्रकरण में ले-आऊट प्लान अनुमोदन हेतु गठित उप समिति द्वारा ले-आऊट प्लान अनुमोदन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

कमांक:- एफ-37/डी पी/जे डी ए/आर टी आई

दिनांक.....

श्री करुण गोयल
सरदारपुरा प्रथम बी, रोड़
खाडिया बास, जोधपुर ।

विषय :- सूचना उपलब्ध कराने बाबत ।

सन्दर्भ :- प्राप्त प्रत्रांक 115906 एवं दिनांक 18/9/2013

महोदय,

उपयुक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आखलिया चौराहा योजना नगर निगम, जोधपुर को हस्तान्तरित की जा चुकी है ।

अतः वांछित सूचना प्राप्त करने हेतु कृपया नगर निगम, जोधपुर से सम्पर्क करने का श्रम करे ।

भवदीय

उप नगर नियोजक
एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

कमांक:- एफ-37/डी पी/जे डी ए/आर टी आई

दिनांक.....

प्रतिलिपि :- (1) प्रभारी अधिकारी (सूचना प्रकोष्ठ) जो. वि. प्रा. जोधपुर को सूचनार्थ ।

(2) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम जोधपुर को आवेदक को मूल पत्र सलंगन कर निवेदन है कि वांछित सूचना कृपया आवेदक को सीधे ही प्रेषित कराने का श्रम करें ।

उप नगर नियोजक
एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

वैद्य है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं है। मौके पर भूमि रिक्त है।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श के दौरान यह तथ्य सामने आया कि आवेदित भूमि को समीपीय कृषि भूमिया, जिन पर अवैध आवासीय भूखण्ड कटे हुए हैं, से मात्र 25' की एप्रोच उपलब्ध हो रही हैं। राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र, दिनांक 25.02.2009 एवं RAJASTHAN TOWNSHIP POLICY-2010 (above 10 Hectares) and Policy For Residential, Group Housing and Other Schemes In The Private Sector (up To 10 Hectares) के अनुसार उक्त आकार की भूमि के लिये न्यूनतम 40' चौड़ी एप्रोच सड़क की आवश्यकता है। अतः समिति द्वारा विचार-विमर्श कर सम्बन्धित उपायुक्त को आवेदित भूमि के लिये पहुँच मार्ग बाबत् रिपोर्ट ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति की आगामी बैठक में रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

2. राजस्व ग्राम बासनी बेन्दा के खसरा नम्बर 17/1 की रकबा 8 बीघा 6 बिस्वा एवं झालामण्ड के खसरा नम्बर 335 रकबा 1 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।

आवेदक :- श्री बिरमाराम वगैराह।

प्रकरण संख्या 33/2012

राजस्व ग्राम बासनी बेन्दा के खसरा नम्बर 17/1 की रकबा 8 बीघा 6 बिस्वा एवं झालामण्ड के खसरा नम्बर 335 रकबा 1 बीघा भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित है। उक्त भूमि सरदारसमन्द सड़क के पूर्व दिशा में अन्दर की ओर स्थित है, जिस पर एप्रोच हेतु आवेदक द्वारा कृषि भूमि से 60' चौड़ी सड़क प्रस्तावित की गई है। प्रस्तुत ले-आऊट प्लान पर सम्बन्धित जोन के अमीन द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। आवेदित भूमि के ले-आऊट प्लान का सहायक नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण किया गया है। उक्त प्रकरण में ले-आऊट प्लान अनुमोदन हेतु गठित उप समिति द्वारा ले-आऊट प्लान अनुमोदन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैद्य है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं है। मौके पर भूमि रिक्त है।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श के दौरान यह तथ्य सामने आया कि प्रार्थी द्वारा आवेदित भूमि को उपलब्ध करवाये जाने वाले पहुँच मार्ग की आंशिक भूमि को आवेदित भूमि के ले-आऊट प्लान के क्षेत्र-विश्लेषण में सम्मिलित किया गया है। सरदारसमन्द सड़क से आवेदित भूमि तक खातेदारी भूमि (खसरा नम्बर 336 व 335 की भूमि) में से 60 फीट चौड़ा पहुँच मार्ग प्रस्तावित किया गया है, लेकिन मौके पर उक्त रास्ता मौजूद नहीं है। अतः प्रार्थी व सम्बन्धित खातेदारों से 60' चौड़े रास्ते की भूमि बाबत् समर्पणनामा लिया जाना आवश्यक है। समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रार्थी व सम्बन्धित खातेदारों सरदारसमन्द सड़क से आवेदित भूमि तक प्रस्तावित पहुँच मार्ग की भूमि बाबत् प्राधिकरण के हक में निःशुल्क समर्पणनामा प्राप्त किया जावे। साथ ही आवेदित भूमि व प्रस्तावित पहुँच मार्ग को खसरा मानचित्र में दर्शाकर/तरमीम

करवाकर खसरा मानचित्र प्रस्तुत करे। खसरो की शेष कृषि भूमि के उपयोग बाबत आवेदक से रिपोर्ट ली जावे। तत्पश्चात् प्रकरण पुनः ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावे। उक्त निर्णय बाबत प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

3. राजस्व ग्राम नान्दड़ा खुर्द के खसरा नम्बर 101/2 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक :- श्री भोलाराम
प्रकरण संख्या 32/2012

राजस्व ग्राम नान्दड़ा खुर्द के खसरा नम्बर 101/2 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित है। उक्त भूमि की समीपीय भूमियों के ले-आऊट प्लान प्राधिकरण द्वारा पूर्व में अनुमोदित किये गये हैं, जिनमें से प्रस्तावित सड़को से आवेदित भूमि का एप्रोच उपलब्ध होती है। प्रस्तुत ले-आऊट प्लान पर सम्बन्धित जोन के अमीन द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। आवेदित भूमि के ले-आऊट प्लान का सहायक नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण किया गया है। उक्त प्रकरण में ले-आऊट प्लान अनुमोदन हेतु गठित उप समिति द्वारा ले-आऊट प्लान अनुमोदन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैद्य है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं है। मौके पर भूमि रिक्त है।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर पूर्व में प्रदत्त स्वीकृतियों के मध्यनजर प्रश्नगत भूमि का ले-आऊट प्लान अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया। पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं मौके पर सड़को की सुनिश्चितता करने तथा पार्क, सुविधाओ आदि हेतु आरक्षित भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाकर सम्पदा पंजिका में इन्द्राज करवाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

4. राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा नम्बर 680 की रकबा 13 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक :- श्री छंवरलाल
प्रकरण संख्या 28/2012

राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा नम्बर 680 की रकबा 13 बीघा भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित है। उक्त भूमि की समीपीय भूमि का ले-आऊट प्लान प्राधिकरण द्वारा पूर्व में अनुमोदित किया गया है, जिसमें प्रस्तावित एक सड़क से आवेदित भूमि को पहुँच मार्ग उपलब्ध होता है। प्रस्तुत ले-आऊट प्लान पर सम्बन्धित जोन के अमीन द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। आवेदित भूमि के ले-आऊट प्लान का सहायक नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण

22

किया गया हैं। उक्त प्रकरण में ले-आऊट प्लान अनुमोदन हेतु गठित उप समिति द्वारा ले-आऊट प्लान अनुमोदन की अनुशंषा की गई है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैध है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं है। मौके पर भूमि रिक्त है।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श के दौरान यह तथ्य सामने आया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रश्नगत भूमि के ले-आऊट प्लान में प्रस्तावित सड़को का लिंक प्राधिकरण द्वारा पूर्व में अनुमोदित ले-आऊट प्लान में प्रस्तावित सड़को से नहीं किया गया है, जो तकनीकी दृष्टि से उचित नहीं है। अतः प्रकरण के सम्बन्ध में समिति द्वारा विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रार्थी से उक्तानुसार संशोधित ले-आऊट प्लान प्राप्त किया जावे, तत्पश्चात् प्रकरण ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावे। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

5. राजस्व ग्राम बनाड़ के खसरा नम्बर 177/1, 177/2, 177/3 की रकबा 9 बीघा 16 4 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक :- श्री भँवरलाल, श्री लिखमाराम वगैराह
प्रकरण संख्या 06/2011

राजस्व ग्राम बनाड़ के खसरा नम्बर 177/1, 177/2, 177/3 की रकबा 9 बीघा 16 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित है। उक्त भूमि उक्त क्षेत्र में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित 100' सड़क के दक्षिण में अन्दर की ओर स्थित है। उक्त भूमि की समीपीय कृषि भूमियो पर अवैध आवासीय भूखण्ड कटे हुए हैं, जिनमें से आवेदित भूमि को 40' चौड़ा पहुँच मार्ग दर्शाया गया है। उक्त पहुँच मार्ग के सम्बन्ध में सम्बन्धित खातेदार द्वारा इकरारनामा प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत ले-आऊट प्लान पर सम्बन्धित जोन के अमीन द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। आवेदित भूमि के ले-आऊट प्लान का सहायक नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण किया गया है। उक्त प्रकरण में ले-आऊट प्लान अनुमोदन हेतु गठित उप समिति द्वारा ले-आऊट प्लान अनुमोदन की अनुशंषा की गई है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैध है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं है। मौके पर भूमि रिक्त है।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श के दौरान यह तथ्य सामने आया कि आवेदित पर विकसित डबल्यू.बी.एम. सड़के आवेदक द्वारा प्रस्तुत ले-आऊट प्लान के अनुरूप नहीं है। अतः समिति द्वारा विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रार्थी समीपस्थ भूमि से आवेदित भूमि को

प्रस्तावित 40 फीट पहुँच मार्ग की भूमि प्राधिकरण के नाम निःशुल्क समर्पण हेतु सम्बन्धित खातेदार से समर्पणनामा प्रस्तुत करे तथा मौके पर विकसित सड़कों को हटाकर जोन कार्यालय को सूचित करे, तत्पश्चात् जोन कार्यालय मौका रिपोर्ट करवावे तथा रिपोर्ट सही पाये जाने पर प्रकरण पुनः ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जावे। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

6. राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा नम्बर 30 का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान + अनुमोदन।

आवेदक :- श्रीमती सुजीदेवी

प्रकरण संख्या :- 1877/05

आवेदक ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर "आशापूर्णा वैली" के अनुमोदित ले-आऊट प्लान में आंशिक संशोधन हेतु निवेदन किया है। राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा नम्बर 11/2, 17/1, 17/मी, 18, 18/1, 19, 20, 21, 21/मी, 22, 27, 28, 28/1, 28/2, 28/3, 28/4, 28/5 व 30 की रकबा 228.24 बीघा भूमि का संयुक्त ले-आऊट प्लान वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर द्वारा दिनांक 16.07.2005 को अनुमोदित किया गया था, जिसके अनुसार आवेदित भूमि के पट्टा विलेख जारी किये जाते रहे हैं। उक्त स्वीकृत ले-आऊट प्लान के दक्षिणी-पश्चिमी भाग में भूखण्ड संख्या 755 व 756 के मध्य 30' चौड़ी सड़क प्रस्तावित की गई है तथा सम्बन्धित भूखण्डों की पंक्ति में भूखण्ड संख्या 754 ए व भूखण्ड संख्या 755 से 774 दर्शाये गये हैं।

उपायुक्त (पूर्व), जोधपुर विकास प्राधिकरण के कार्यालय पत्रांक एफ-49/90-बी/पूर्व/2012/439, दिनांक 23.05.2012 द्वारा आवेदक को यह सूचित किया गया कि अनुमोदित ले-आऊट प्लान में अंकित भूखण्ड संख्या 754, 755 व 756 के मध्य स्थित 30' चौड़ी सड़क दर्शायी गई है, लेकिन मौके पर भिन्नता है। अतः अनुमोदित ले-आऊट प्लान के आधार पर मौके की स्थिति नहीं होने का कारण स्पष्ट करे।

इस सम्बन्ध में आवेदक द्वारा दिनांक 11.07.2012 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि भूलवश भूखण्ड संख्या 755 व 756 के मध्य स्थित 30' चौड़ी सड़क मौके पर दक्षिण दिशा में भूखण्ड संख्या 756 के स्थान पर बना दी गई है, इस कारण भूखण्ड संख्या 754 का क्षेत्रफल बढ़ गया है एवं भूखण्ड संख्या 774 मौके पर उपलब्ध नहीं है। अतः प्रार्थी भूखण्ड संख्या 754 व 774 के जारी पट्टों को समर्पित कर भूखण्ड संख्या 754 के बड़े हुए नाप के अनुसार पट्टा विलेख लेना चाहता है एवं तदनुसार आशापूर्णा वैली के योजना मानचित्र में संशोधन चाहता है।

उपायुक्त (पूर्व) द्वारा अवगत करवाया गया कि उनके द्वारा प्रश्नगत स्थल का मौका निरीक्षण नहीं किया गया है। समिति द्वारा विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि उपायुक्त (पूर्व) द्वारा प्रश्नगत स्थल का मौका निरीक्षण कर अपनी विस्तृत टिप्पणी सहित प्रकरण पुनः ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति की आगामी बैठक में रखा जावे। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

21

7. राजस्व ग्राम देसूरिया विश्नोईयान के खसरा नम्बर 74/1 की रकबा 32 बीघा भूमि का ✓
औद्योगिक प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।

आवेदक :- मातुश्री बिल्डकॉन प्राईवेट लिमिटेड, डायरेक्टर कुम्भसिंह पातावत।

प्रकरण संख्या :- 78/11

जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार राजस्व ग्राम देसूरिया विश्नोईयान के खसरा नम्बर 74/1 की रकबा 32 बीघा भूमि औद्योगिक प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित है, जिसके उत्तरी-पूर्वी भाग में 200' चौड़ी सड़क गुजरती है। प्रेषित ले-आऊट प्लान पर सम्बन्धित जोन के अमीन द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। आवेदित भूमि के ले-आऊट प्लान का उप नगर नियोजक व सहायक नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण किया गया है। उक्त प्रकरण में ले-आऊट प्लान अनुमोदन हेतु गठित उप समिति द्वारा ले-आऊट प्लान अनुमोदन की अनुशंषा की गई है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैध है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं है। मौके पर भूमि रिक्त है। आवेदित भूमि को 60 फीट चौड़ा पहुँच मार्ग उपलब्ध है।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर आवेदित भूमि के उत्तरी-पूर्वी भाग में मास्टर प्लान में प्रस्तावित 200' चौड़ी सड़क का मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्राधिकरण के हक में निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर आवेदित भूमि का ले-आऊट प्लान स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया। प्रार्थी की भूमि में दो विद्युत हाईटेंशन लाईन विद्यमान है, उक्त दोनो विद्युत हाईटेंशन लाईनो को ले-आऊट प्लान में दर्शित करते हुए इनके नीचे 60' चौड़ी सड़क दर्शाई जावे। विद्युत हाईटेंशन लाईनो के दोनो तरफ राजस्थान भवन विनियम-2010 (संशोधित) (जयपुर को छोड़कर अन्य प्रथम श्रेणी के शहरों एवं भिवाड़ी के लिए) या इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी कोड के अन्तर्गत निर्धारित न्यूनतम दूरी, जो भी अधिक हो के अनुसार खड़ी दूरी एवं क्षेतिज दूरी छोड़ी जानी होगी। इसके साथ-साथ विद्युत लाईन के सहारे-सहारे स्थित भूखण्डों पर पर्याप्त सेटबैक्स रखे जावे, ताकि विद्युत लाईन से किसी प्रकार की दुर्घटना की सम्भावना नहीं हो। पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं मौके पर सड़को की सुनिश्चितता करने तथा पार्क, सुविधाओ, पहुँच मार्ग आदि हेतु आरक्षित भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाकर सम्पदा पंजिका में इन्द्राज करवाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

8. राजस्व ग्राम दर्ईजर के खसरा नम्बर 231 की रकबा 26 बीघा भूमि का फार्महाऊस ✓
प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।

आवेदक :- श्रीमती झमकु देवी पत्नि श्री बस्तीराम वगैराह

प्रकरण संख्या :- 07/2012

उक्त प्रकरण में ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक, दिनांक 25.07.2012 में निर्णय लिया गया कि प्रार्थी प्रथमतः आवेदित भूमि हेतु पहुँच मार्ग की स्थिति स्पष्ट करे। पहुँच मार्ग की उपलब्धता एवं प्रार्थी से स्थल की 200 मीटर परिधि का सर्वेक्षण नक्शा/कुल स्टेशन सर्वेक्षण, योजना

मानचित्र में विद्युत हाईटेंशन लाईन की स्थिति व उक्त विद्युत हाईटेंशन लाईन के नीचे 60' चौड़ी सड़क का प्रावधान व नियमों में प्रावधानित अन्य आवश्यक सूचनाएं प्राप्त करने के उपरान्त प्रकरण ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक में विचारार्थ रखा जावे।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 की धारा 04 की अधिसूचना एवं धारा 06/17 की अधिसूचना के समाचार-पत्र में प्रकाशन की प्रति, गजट नोटिफिकेशन की प्रति एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अवाप्ति हेतु दिये गये नोटिस की प्रति, वाछिंत पी.टी. सर्वे व योजना मानचित्र में विद्युत हाईटेंशन लाईन की स्थिति तथा उक्त विद्युत हाईटेंशन लाईन के नीचे 60' चौड़ी सड़क का प्रावधान करते हुए सूचनाएं सलंगन की गई हैं, अतः प्रकरण समिति के समक्ष पुनः विचारार्थ रखा गया है।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर सम्बन्धित उपायुक्त को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित सड़क की मौके पर क्रियान्विती तथा वर्तमान में आवेदित भूमि तक जाने वाले रास्ते के सम्बन्ध में विस्तृत रिपोर्ट से समिति को अवगत करवाने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

9. राजस्व ग्राम पाल के खसरा नम्बर 358, 359/1, 359/5 व 359 की रकबा 35 बीघा 13 बिस्वा 07 बिस्वांसी भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक :- श्रीमती पद्मा पत्नि श्री पेमाराम वगैराह।
प्रकरण संख्या :- 17/12

राजस्व ग्राम पाल के खसरा नम्बर 358, 359/1, 359/5 व 359 की रकबा 35 बीघा 13 बिस्वा 07 बिस्वांसी भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित है, जिसका राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति की बैठक क्रमांक 126, दिनांक 19.06.2012 में आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किया गया है। प्रस्तुत ले-आऊट प्लान पर सम्बन्धित जोन के अमीन द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। आवेदित भूमि के ले-आऊट प्लान का उप नगर नियोजक एवं सहायक नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण किया गया है, जिसमें संशोधन करते हुए ले-आऊट प्लान स्वीकृत करने की अनुशंसा की गई है। उक्त प्रकरण में ले-आऊट प्लान अनुमोदन हेतु गठित उप समिति द्वारा ले-आऊट प्लान अनुमोदन की अनुशंसा की गई है। उक्त योजना का क्षेत्रफल 2 हैक्टेयर से अधिक होने के कारण आर्थिक दृष्टि से कमजोर व्यक्तियों एवं अल्प आय वाले वर्ग के व्यक्तियों के लिये भूखण्डों का आरक्षण किया गया है, जिनका निष्पादन राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप किया जाना है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैध है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं है। मौके पर भूमि रिक्त है।

मानचित्र में विद्युत हाईटेंशन लाईन की स्थिति व उक्त विद्युत हाईटेंशन लाईन के नीचे 60' चौड़ी सड़क का प्रावधान व नियमों में प्रावधानित अन्य आवश्यक सूचनाएं प्राप्त करने के उपरान्त प्रकरण ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक में विचारार्थ रखा जावे।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 की धारा 04 की अधिसूचना एवं धारा 06/17 की अधिसूचना के समाचार-पत्र में प्रकाशन की प्रति, गजट नोटिफिकेशन की प्रति एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अवाप्ति हेतु दिये गये नोटिस की प्रति, वाछित पी.टी. सर्वे व योजना मानचित्र में विद्युत हाईटेंशन लाईन की स्थिति तथा उक्त विद्युत हाईटेंशन लाईन के नीचे 60' चौड़ी सड़क का प्रावधान करते हुए सूचनाएं सलंगन की गई हैं, अतः प्रकरण समिति के समक्ष पुनः विचारार्थ रखा गया है।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर सम्बन्धित उपायुक्त को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित सड़क की मौके पर क्रियान्विती तथा वर्तमान में आवेदित भूमि तक जाने वाले रास्ते के सम्बन्ध में विस्तृत रिपोर्ट से समिति को अवगत करवाने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

9. राजस्व ग्राम पाल के खसरा नम्बर 358, 359/1, 359/5 व 359 की रकबा 35 बीघा 13 बिस्वा 07 बिस्वांसी भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक :- श्रीमती पद्मा पत्नि श्री पेमाराम वगैरह।
प्रकरण संख्या :- 17/12

राजस्व ग्राम पाल के खसरा नम्बर 358, 359/1, 359/5 व 359 की रकबा 35 बीघा 13 बिस्वा 07 बिस्वांसी भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित है, जिसका राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति की बैठक क्रमांक 126, दिनांक 19.06.2012 में आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किया गया है। प्रस्तुत ले-आऊट प्लान पर सम्बन्धित जोन के अमीन द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। आवेदित भूमि के ले-आऊट प्लान का उप नगर नियोजक एवं सहायक नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण किया गया है, जिसमें संशोधन करते हुए ले-आऊट प्लान स्वीकृत करने की अनुशंसा की गई है। उक्त प्रकरण में ले-आऊट प्लान अनुमोदन हेतु गठित उप समिति द्वारा ले-आऊट प्लान अनुमोदन की अनुशंसा की गई है। उक्त योजना का क्षेत्रफल 2 हैक्टेयर से अधिक होने के कारण आर्थिक दृष्टि से कमजोर व्यक्तियों एवं अल्प आय वाले वर्ग के व्यक्तियों के लिये भूखण्डों का आरक्षण किया गया है, जिनका निष्पादन राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप किया जाना है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैध है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं है। मौके पर भूमि रिक्त है।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसार मास्टर प्लान में प्रस्तावित 120' चौड़ी सड़क के मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण के हक में निःशुल्क समर्पित करने, पश्चिम दिशा में स्थित राजस्व रास्ते का मार्गाधिकार 60' रखे जाने हेतु रास्ते की मध्य रेखा से 30' भूमि निःशुल्क समर्पित करवाये जाने की शर्त पर ले-आऊट प्लान अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया। पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं मौके पर सड़को की सुनिश्चितता करने तथा पार्क, सुविधाओ आदि हेतु आरक्षित भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाकर सम्पदा पंजिका में इन्द्राज करवाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

10. राजस्व ग्राम भाकरासनी के खसरा नम्बर 145 की रकबा 37 बीघा 14 बिस्वा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।

आवेदक :- श्री मूलाराम

प्रकरण संख्या 63/11

राजस्व ग्राम भाकरासनी के खसरा नम्बर 145 की रकबा 37 बीघा 14 बिस्वा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार औद्योगिक प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित है, जिसका राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति की बैठक क्रमांक 125, दिनांक 30.04.2012 में आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किया गया है। प्रस्तुत ले-आऊट प्लान पर सम्बन्धित जोन के अमीन द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। आवेदित भूमि के ले-आऊट प्लान का उप नगर नियोजक तथा सहायक नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण किया गया है, जिसमें संशोधन करते हुए ले-आऊट प्लान स्वीकृत करने की अनुशंषा की गई है। उक्त प्रकरण में ले-आऊट प्लान अनुमोदन हेतु गठित उप समिति द्वारा ले-आऊट प्लान अनुमोदन की अनुशंषा की गई है। उक्त योजना का क्षेत्रफल 2 हैक्टेयर से अधिक होने के कारण आर्थिक दृष्टि से कमजोर व्यक्तियों एवं अल्प आय वाले वर्ग के व्यक्तियों के लिये भूखण्डों का आरक्षण किया गया है, जिनका निष्पादन राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशो के अनुरूप किया जाना है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैध है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं है। मौके पर भूमि रिक्त है।

समिति द्वारा विचार विमर्श के दौरान यह तथ्य सामने आया कि राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुरूप पाली सड़क से आवेदित भूमि तक 80' चौड़ा पहुँच मार्ग उपलब्ध करवाया जाना है। प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 142 की भूमि में से पाली सड़क से आवेदित भूमि तक 80' चौड़ी सड़क हेतु समर्पणनामा प्रस्तुत किया है, परन्तु उक्त 80' चौड़ी सड़क को प्रश्नगत भूमि के योजना मानचित्र में मात्र 60' चौड़ा ही प्रस्तावित किया गया है, जो तकनीकी दृष्टि से उचित नहीं है। समिति द्वारा विचार-विमर्श कर उक्त पहुँच मार्ग को प्रश्नगत भूमि के योजना मानचित्र में भी 80' चौड़ा प्रस्तावित करते हुए उसे पश्चिम दिशा में भाकरासनी से पाली जाने वाले राजस्व रास्ते से लिंक किये जाने का निर्णय लिया गया। राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसार आवेदित भूमि के दक्षिण-पश्चिम दिशा में स्थित राजस्व रास्ते का मार्गाधिकार 100' रखे जाने

समिति द्वारा विचार विमर्श कर राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसार मास्टर प्लान में प्रस्तावित 120' चौड़ी सड़क के मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण के हक में निःशुल्क समर्पित करने, पश्चिम दिशा में स्थित राजस्व रास्ते का मार्गाधिकार 60' रखे जाने हेतु रास्ते की मध्य रेखा से 30' भूमि निःशुल्क समर्पित करवाये जाने की शर्त पर ले-आऊट प्लान अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया। पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं मौके पर सड़को की सुनिश्चितता करने तथा पार्क, सुविधाओ आदि हेतु आरक्षित भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाकर सम्पदा पंजिका में इन्द्राज करवाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

10. राजस्व ग्राम भाकरासनी के खसरा नम्बर 145 की रकबा 37 बीघा 14 बिस्वा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक :- श्री मूलाराम
प्रकरण संख्या 63/11


राजस्व ग्राम भाकरासनी के खसरा नम्बर 145 की रकबा 37 बीघा 14 बिस्वा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार औद्योगिक प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित है, जिसका राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति की बैठक क्रमांक 125, दिनांक 30.04.2012 में आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किया गया है। प्रस्तुत ले-आऊट प्लान पर सम्बन्धित जोन के अमीन द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। आवेदित भूमि के ले-आऊट प्लान का उप नगर नियोजक तथा सहायक नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण किया गया है, जिसमें संशोधन करते हुए ले-आऊट प्लान स्वीकृत करने की अनुशंसा की गई है। उक्त प्रकरण में ले-आऊट प्लान अनुमोदन हेतु गठित उप समिति द्वारा ले-आऊट प्लान अनुमोदन की अनुशंसा की गई है। उक्त योजना का क्षेत्रफल 2 हैक्टेयर से अधिक होने के कारण आर्थिक दृष्टि से कमजोर व्यक्तियों एवं अल्प आय वाले वर्ग के व्यक्तियों के लिये भूखण्डों का आरक्षण किया गया है, जिनका निष्पादन राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशो के अनुरूप किया जाना है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैध है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं है। मौके पर भूमि रिक्त है।


समिति द्वारा विचार विमर्श के दौरान यह तथ्य सामने आया कि राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुरूप पाली सड़क से आवेदित भूमि तक 80' चौड़ा पहुँच मार्ग उपलब्ध करवाया जाना है। प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 142 की भूमि में से पाली सड़क से आवेदित भूमि तक 80' चौड़ी सड़क हेतु समर्पणनामा प्रस्तुत किया है, परन्तु उक्त 80' चौड़ी सड़क को प्रश्नगत भूमि के योजना मानचित्र में मात्र 60' चौड़ा ही प्रस्तावित किया गया है, जो तकनीकी दृष्टि से उचित नहीं है। समिति द्वारा विचार-विमर्श कर उक्त पहुँच मार्ग को प्रश्नगत भूमि के योजना मानचित्र में भी 80' चौड़ा प्रस्तावित करते हुए उसे पश्चिम दिशा में भाकरासनी से पाली जाने वाले राजस्व रास्ते से लिंक किये जाने का निर्णय लिया गया। राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसार आवेदित भूमि के दक्षिण-पश्चिम दिशा में स्थित राजस्व रास्ते का मार्गाधिकार 100' रखे जाने

हेतु सडक की मध्य रेखा से 50' भूमि निःशुल्क समर्पित की जानी होगी। समिति द्वारा विचार-विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आवेदक से उक्तानुसार संशोधित ले-आऊट प्लान प्राप्त कर तकनीकी विश्लेषण करने के उपरान्त ले-आऊट प्लान जारी किया जावे। पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं मौके पर सड़को की सुनिश्चितता करने तथा पार्क, सुविधाओ आदि हेतु आरक्षित भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाकर सम्पदा पंजिका में इन्द्राज करवाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।



निदेशक (आयोजना)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर।



आयुक्त
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर।